

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
933	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.2286) दि. 29-03-2016 (श्री मोती कश्यप)	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र किया जाना ।	पारित आदेश अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है ।		
934	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.7564) दि. 29-03-2016 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	म.प्र.विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	विश्वविद्यालयों में नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है ।		
935	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.4422) दि. 29-03-2016 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर एवं सागर विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	दो शिकायतों पर जांच की जा रही है । जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
936	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.5002) दि. 29-03-2016 (श्री आरिफ अकील)	डॉ. एम.डी.तिवारी, कुलपति बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा पदस्थी के दौरान की गई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच समय-सीमा में कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	अनियमितताओं की जांच प्रचलन में है ।		
937	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.5150) दि. 29-03-2016 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले के शासकीय महाविद्यालय सोनकच्छ के परिसर की बाउण्ड्रीवाल शीघ्र बनाया जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
938	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.6800) दि. 29-03-2016 (श्री पन्नालाल शाक्य)	(1) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में कार्यमुक्त पश्चात् प्रभारी प्राचार्य डॉ. नूतन कुलश्रेष्ठ द्वारा नियम विरुद्ध कार्यभार ग्रहण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना। (2) तत्कालीन प्रभारी मुख्य लिपिक व अन्य के द्वारा सेवा पुस्तिका में रिलीविंग व ज्वाइनिंग की प्रविष्टि नहीं किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच की जा रही है। (2) विभागीय जांच के निष्कर्ष के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (3) जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
939	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.7096) दि. 29-03-2016 (श्री जितू पटवारी)	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में सुरक्षा एजेंसी को दिये गये कार्य में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर सम्बन्धितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) मान. कुलाधिपति को लिखा गया है। (2) निष्कर्ष आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
940	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.7202) दि. 29-03-2016 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 01 जनवरी 2014 के बाद परीक्षा में परिक्षार्थियों को कम अंक प्राप्त होने एवं पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना में अंक बढ़ने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 10(1) के अंतर्गत मान. कुलाधिपति को लिखा जा रहा है।		
941	अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.5617) दि. 29-03-2016 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर संभागीय मुख्यालय में एक्सीलेस इन कॉमर्स संस्था शीघ्र प्रारम्भ किया जाना।	निर्देशोपरांत प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
942	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.7160) दि. 29-03-2016 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के शास. श्रीमंत कैलाश वासी माधवराव सिंधिया महाविद्यालय कोलारस में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की जाना।	(1) विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। (2) गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भी भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
943	अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.7506) दि. 29-03-2016 (श्री इन्दर सिंह परमार)	प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की जाना।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरांत प्राचार्यों की नियुक्ति की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
944	अतारांकित प्रश्न सं.116 (प्रश्न क्रं.7595) दि. 29-03-2016 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर में शासकीय महाविद्यालय शीघ्र खोला जाना ।	प्रकरण पर परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

खेल और युवक कल्याण विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
945	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्र.6971) दि. 29-03-2016 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में माह फरवरी 2016 में आयोजित विधायक कप प्रतियोगिता में खेल अधिकारी द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जी हां। प्राप्त शिकायत पर जांच की जा रही है।		
946	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्र.7536) दि. 29-03-2016 (श्री संजय शर्मा)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट योजना के तहत नरसिंहपुर जिले के विकास खण्ड चांवरपाठा के ग्राम देवरी के स्टेडियम हेतु भूमि आवंटन की शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर स्टेडियम का निर्माण कराया जाना।	जमीन आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
947	अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्र.4777) दि. 29-03-2016 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम दांतरदा में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण हेतु समस्त प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना।	निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
948	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1601) दि. 29-03-2016 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकास खण्ड मुख्यालय पर शासन के नीतिगत निर्णयानुसार आई.टी.आई. शीघ्र खोला जाना।	शासकीय आई.टी.आई खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
949	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.104 (प्रश्न क्रं.7558) दि. 29-03-2016 (श्री घनश्याम पिरोनियों)	म.प्र. की आई.टी.आई. में तदर्थ रूप से कार्यरत लिपिकों को नियमित किये जाने के उपरान्त तदर्थ नियुक्त अवधि की वेतनवृद्धि दी जाना एवं एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाना।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है।		
950	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.7081) दि. 29-03-2016 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	प्रदेश के शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतन का लाभ शीघ्र दिया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।		
951	अतारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.7589) दि. 29-03-2016 (श्री बाला बच्चन)	संचालनालय कौशल विकास में तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों का मूल विभाग बंद हो जाने पर उनका संविलियन किया जाना।	तिलहन संघ के अधिकारियों के संबंध में संविलियन की कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
952	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.7585) दि. 29-03-2016 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	धार जिले के अन्तर्गत बाग-कुक्षी मार्ग (राजमार्ग क्र.39) का शेष निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	शेष कार्य दिनांक 30.06.2016 तक पूर्ण होना संभावित है।		
953	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.2234) दि. 29-03-2016 (श्री हरवंश राठौर)	तहसील कार्यालय भवन शाहगढ़ जिला सागर का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन कराये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।		
954	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.5404) दि. 29-03-2016 (श्री मोती कश्यप)	स्लीमनाबाद से ढीमरखेड़ा विलायत कलां मार्ग, सिहोरा से उमरियापान होकर विलायत कलां मार्ग तथा सिहोरा से सिलौडी मुख्य जिला मार्ग योजना अन्तर्गत प्राथमिकता क्रम में शीघ्र परीक्षण कर उन्नयन किया जाना।	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।		
955	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.6257) दि. 29-03-2016 (श्री मोती कश्यप)	रामपुर सगौना, कोठी, दादर सिहूडी, मेहगवां, बीजापुरी मार्ग की शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर मार्ग निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ किया जाना।	प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यों का परीक्षण कराया जा रहा है।		
956	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.6936) दि. 29-03-2016 (श्री कल्याण सिंह ठाकुर)	विदिशा जिले की तहसील गुलाबगंज के ग्राम महेन्देर के कृषकों की सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा दिया जाना।	(1) भूमि अधिग्रहण प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। (2) प्रकरण परीक्षणाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
957	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.74 (प्रश्न क्रं.7228) दि. 29-03-2016 (श्री के. के. श्रीवास्तव)	टीकमगढ़ नगर में प्रस्तावित बाय-पास मार्ग की शीघ्र स्वीकृति दी जाना।	प्राक्कलन परीक्षणाधीन है।		
958	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.7586) दि. 29-03-2016 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	धार जिले में बाय-पास मार्ग (राजमार्ग क्र.39) बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत शेष कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	(1) शेष 25 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। (2) 30.12.2016 तक पूर्ण होना संभावित है। (3) अनुबंधित कण्डिकाओं के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है।		
959	अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.6864) दि. 29-03-2016 (श्रीमती अर्चना चिटनिस)	बुरहानपुर जिले में दर्यापुर-जसौंदी-करोली मार्ग का निर्माण ठेकेदार द्वारा धीमी गति से किये जाने एवं अनुबंध का उल्लंघन किये जाने पर ठेकेदार का पंजीयन निलंबन कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कारण बताओं नोटिस दिया गया है। ठेकेदार से उत्तर प्राप्त होने पर गुण दोषों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
960	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.7153) दि. 29-03-2016 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले के वन परिक्षेत्र बदरवास के अन्तर्गत वन भूमि पर 20-25 वर्ष पूर्व से काबिज आदिवासियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पत्र दिया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
961	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.105 (प्रश्न क्रं.7560) दि. 29-03-2016 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	वन रेंज कैलारस जिला मुरैना के ग्राम कुंअरपुर हल्का नं. 00028 की वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना।	अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार की जा रही है।		
962	अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.5140) दि. 29-03-2016 (डॉ. योगेन्द्र निर्मल)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (प्रशासन अराज) भोपाल में कीर जाति के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध आरक्षण का लाभ देकर पदोन्नति दिये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) परीक्षण उपरांत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी। (2) जांच उपरांत आवश्यकतानुसार तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियम एवं प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।		
963	अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.6927) दि. 29-03-2016 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	वन वृत्त बालाघाट में लंबित पेंशनर्स की विभागीय जांच समय सीमा में की जाकर शीघ्र पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	(1) विभागीय जांच प्रकरण निराकरण हेतु लंबित हैं। (2) निराकरण होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।		
964	अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.6928) दि. 29-03-2016 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	सेवा निवृत्त श्री डी.एल. देशमुख तत्कालीन वन क्षेत्रपाल के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण की जाकर पेंशन प्रकरण का निराकरण किया जाना।	दोनों प्रकरण क्रमशः मुख्यालय स्तर पर एवं शासन स्तर पर परीक्षणाधीन होने से लंबित हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
965	अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.7476) दि. 29-03-2016 (प्रो. संजीव छोटेला उडके)	मडण्ला जिले के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत अंशदान की कटौती की जाकर लाभाविंत किया जाना एवं शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना ।	(1) अंशदान की कटौती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) नियमितीकरण की कार्यवाही शासन निर्देशानुसार की जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

दिनांक: 29-03-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
966	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.6849) दि. 29-03-2016 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	भोपाल शहर की चिन्हित कान्हासैया भूमि का शीघ्र हस्तांतरण कर लोहा व्यवसाय को उद्योग की मान्यता देकर भोपाल नगर में लोहा मंडी की स्थापना की जाना।	(1) जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कान्हासैया की भूमि पर प्रस्ताव चाहा गया है। (2) जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कान्हासैया की भूमि का हस्तांतरण विभाग के नाम होने पर विचार किया जावेगा।		
967	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.7004) दि. 29-03-2016 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	मुख्यमंत्री युवा उद्गमयी योजना अन्तर्गत छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15 में युवा बेरोजगारों के उद्योग हेतु स्वीकृत ऋण, अंशदान/अनुदान की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना।	प्रक्रियाधीन है।		
968	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.7168) दि. 29-03-2016 (कुँवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले के औद्योगिक क्षेत्र में म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 40 के तहत आवंटित भूमि को पट्टाभिलेख की शर्त का उल्लंघन करने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पट्टा निरस्त किये जाने के बाद अधिकार क्षेत्र से बाहर आवंटन अधिकारी द्वारा पट्टा बहाल किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की गई है।		
969	परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.70 (प्रश्न क्रं.7199) दि. 29-03-2016 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	रतलाम जिले के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हेतु आवंटित भूमि पर नियमानुसार उद्योग संचालित नहीं किये जाने पर एवं पट्टा अभिलेख की शर्त का उल्लंघन करने पर पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि का अधिपत्य प्राप्त किया जाना।	बंद उद्योगों से भूमि रिक्त कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
970	अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.662) दि. 29-03-2016 (श्री राजेश सोनकर)	इन्दौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड एवं औद्योगिक संस्थान पोलोग्राउण्ड में उद्योग के लिए आवंटित भूमि पर लीजडीड का उल्लंघन कर अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग अथवा किराये पर दिये जाने की सूक्ष्म जांच कराकर राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक प्रबंधन नियम 2015 के अनुसार भूमि निरस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र कर भूमि मुक्त कराया जाना ।	भूमि निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है । भूमि मुक्त करवाकर नियमानुसार औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि ऑनलाईन पद्धति से आवंटित की जावेगी ।		